M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

क.मुख्या / उद्यान / 2019–20 / 4264 भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

प्रथम प्रसारण

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

....

विषय :–दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये टिश्यू कल्चर पौधों की दरों के अनुमोदन के संबंध में ।

दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये टिश्यू कल्चर पौधों हेतु आरसीओ आमंत्रित किये गये थे तथा प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार टिश्यू कल्चर प्लांट्स की दरों का अनुमोदन जारी किया जाता है :–

क.	प्रदायककर्ता का नाम	टिश्यू कल्चर प्लांट का नाम	दर प्रति पौधा निगम मार्जिन 5 प्रतिशत सहित एफ ओ आर विकास खण्ड स्तर तक
1	मेसर्स के एफ बायोटेक, ग्राम थिनयूर, पोस्ट सुलीबेल, तेहसील होसकोट, जिला बैंगलौर ग्रामीण 562129 फोन नम्बर 080–27957390	केला	रू 18
3	मेसर्स ए बी सी एग्रो बायोटेक्नालाजी प्रा. लि., ब्लाक नम्बर 347–744, सरदार नगर इन्डिस्ट्रियल कोआपरेटिव्ह सोसाईटी, ग्राम छपारा मेहमदाबाद 387130 जिला खेड़ा गुजरात फोन नम्बर 9825009848	केला	रू 18
		अनार – भगवा अनार – भगवा	रू 32.45 रू 32.45

उपरोक्त दरें टिश्यू कल्चर से उत्पादित पौधों के लिये है। प्रदायगी की शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. जिलों में प्राप्त मांग का पूर्ण विवरण जिला प्रबधंक **मुख्यालय को** विधिवत आदेश जारी करने के लिये प्रेषित करेंगे। मांग के साथ संबंधित विभाग से प्राप्त मांग की फोटोप्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाना होगी ।

2. प्रदाय आदेश में उल्लेखित सीमा के भीतर यदि सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो विलंब की स्थिति में सामग्री प्राप्ति हेतु संबंधित विभाग से लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरांत प्रदायगी स्वीकार की जाएगी ।

3. बिना मुख्यालय आदेश के टिश्यू कल्चर पौधों की प्रदायगी मान्य नहीं की जावेगी ।

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

4. टिश्यू कल्चर पौधों की प्रदायगी निम्नानुसार रहेगी :

4.1 **मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध प्रदायक द्वारा सामग्री का प्रदाय निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्राप्तकर्ता विभाग को किया जाएगा।**

4.2 **प्रदायक द्वारा** टिश्यू कल्चर पौधों **के साथ चालान/देयक 3 प्रतियों में प्रस्तुत किये जाएगें । प्रदायक द्वारा प्रत्येक देयक के साथ इस आशय का स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा कि उत्पादित पौधें टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित है एवं देयक में वर्णित उल्लेखित किस्म के ही है।**

4.3 **सामग्री प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा सामग्री की गुणवतता से संतुष्ट होने पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप कमांक 1 में जारी कर जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी।**

4.4 **भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रबंधक द्वारा सामग्री प्राप्तकर्ता विभाग को प्रदाय की जाएगी एवं सामग्री प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा हितग्राहियों को सामग्री का वितरण कराया जाएगा। प्रदायगी के 30 दिवस के अन्दर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा संतुष्टी रिपोद्व संलग्न प्रारूप कमांक 2 में जारी की जाएगी।**

5. प्रदायक द्वारा पैकेज आफ प्रेक्टिस पठनीय हिन्दी भाषा में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाएगें ।

6. टिश्यू कल्चर पौधों की गुणवत्ता से संबंधी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जायेगा एवं यदि हितग्राहियों को टिश्यू कल्चर पौधों की गुणवत्ता से हानि होती है तो नियमानुसार उसकी भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जाना आवश्यक होगी।

7. प्रदायित टिश्यू कल्चर पौधों का भुगतान पश्चात भुगतान (अर्थात निगम को संबंधित विभाग से भुगतान प्राप्त होने के उपरांत) के आधार पर मुख्यालय द्वारा किया जावेगा । 80 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रदायित टिश्यू कल्चर पौधों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं 2 प्रतियों में निगम के जिला प्रबंधक द्वारा सत्यापित देयक प्राप्त होने के 30 दिवस में तथा शेष भुगतान प्राप्तकर्ता विभाग से संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के सामान्यतः 60 दिवस में किया जावेगा ।

संतुष्टी रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में भौतिक सत्यापन के 60 दिवस की अवधि में प्राप्तकर्ता विभाग से कोई शिकायत प्राप्त नही होती है तो जिला प्रबंधक इस आशय की जानकारी मुख्यालय को पत्र से प्रेषित करेगे तथा जिला प्रबंधक से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रदायक को देय शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किये गये भुगतान पर प्राप्तकर्ता विभाग आपत्ति नही ले सकेगा।

8. क्षेत्रीय/जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर बाजार जाकर सुनिश्चित करें कि निगम द्वारा अनुमोदित टिश्यू कल्चर पौधों का विक्रय स्थानीय बाजार में निगम द्वारा अनुमोदित दर से कम पर तो नहीं किया जा रहा है ।

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

M P AGRO

9. इस पत्र के माध्यम से जो दरे अनुमोदित की गई है वह निगम द्वारा जारी आदेशों के विरूद्ध निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्रदाय हेतु लागू रहेगी तथा इन्हें किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये दरों का अनुमोदन ना माना जाए। यदि कोई विपरित स्थिति निर्मित होती है तो निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नही रहेगा।

प्रदायगी की शेष शर्ते निष्पादित अनुबंध एवं आरसीओ के अनुसार यथावत रहेंगी। आर सी ओ की प्रति निगम की वेबसाईट से डाउनलोड कर रिकार्ड में सुराक्षित रखे।

उप महाप्रबंधक (उद्यान) 22/11/19

प्रतिलिपिः– 4265 / 22-11-19

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया फल पौधों की दरों के अनुमोदन के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करे।
2. आयुक्त , संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. महाप्रबंधक लेखा, निगम मुख्यालय, भोपाल
4. जिला प्रबंधक ,समस्त
5. मे. मेसर्स के एफ बायोटेक, ग्राम थिनयूर, पोस्ट सुलीबेल, तेहसील होसकोट, जिला बैंगलौर ग्रामीण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
6. मेसर्स ए बी सी एग्रो बायोटेक्नालाजी प्रा. लि., ब्लाक नम्बर 347–744,सरदार नगर इन्डिस्ट्रियल कोआपरेटिव्ह सोसाईटी, ग्राम छपारा मेहमदाबाद 387130 जिला खेड़ा गुजरात की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)
22/11/19